



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 250]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

भारतीय दंत्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

संख्या डीई-87(4)-2016.—दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत्य परिषद, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से दिनांक 10.9.2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मौजूदा मुख्य संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियमों में निम्न संशोधन करती है:

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन:—

- ये विनियम भारतीय दंत्य परिषद संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 कहलाएंगे।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू होंगे।

2. 'भारतीय दंत्य परिषद संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007' में खंड I 'प्रशिक्षण की अवधि' नामक शीर्षक के बाद वृत्ति के प्रावधान निम्नानुसार सन्निविष्ट किए जाएंगे:

वृत्ति:

केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे संबंधित सरकार/प्रशासन प्राधिकृत करें नियत की गई वृत्ति एमडीएस के छात्रों को केवल पाठ्यक्रम के तीन वर्षों के दौरान प्रदान की जाएगी। जब कभी ऐसी वृत्ति को लेकर कोई विवाद उपस्थित होता है जिसमें वृत्ति की मात्रा शामिल है, इस पर केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

एम. एल. मीना, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 132]

पाद टिप्पणी:

- मुख्य विनियम अर्थात् 'संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007' 21 नवंबर को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।
- भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मुख्य विनियम में पहला संशोधन 20.8.2008 को किया गया था।
- भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मुख्य विनियम में दूसरा संशोधन 01.06.2012 को किया गया था।

DETNAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2016

No. DE-87(4)-2016.—In exercise of the powers conferred upon the DCI by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing Principal Revised MDS Course Regulations, 2007, published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10.09.2007:—

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised MDS Course (4th Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette from the academic session 2016-17.

2. In the “Dental Council of India Revised MDS Course Regulations, 2007”, in Section I, after the heading captioned as “**PERIOD OF TRAINING**”, the provisions of stipend shall be inserted as under:-

STIPEND:

The MDS students shall be paid stipend only for duration of three years of the course, as may be fixed by the Central Government/respective State Government/Union Territory Administration or such authority as the respective government/administration may authorise. Where any dispute arises regarding any such stipend, including, quantum of the stipend, it shall be considered and decided by the Central Government/respective State Government/Union Territory Administration at its own level and its decision shall be final.

M. L. MEENA, Secy. I/c

[ADVT. III/4/Exty./132]

Foot Note: –

1. The Principal Regulations namely, “Revised MDS Course Regulations, 2007” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 21st November, 2007.
2. The 1st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 20.08.2008.
3. The 2nd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 01.06.2012.